Annexure LVII

डा0 आर.एस. टोलिया
मुख्य सूचना आयुक्त

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सेक्टर–1, सी–10
डिफेन्स कालोनी, देहरादून, भारत
दूरभाषः 0135–2666778 (का.), 2712079 (नि.)
फैक्स : 0135–2666779
ई–मेलः rs_tolia@rediffmail.com

अ.शा. पत्रांक : 2272/उ.सू.आ./2007
दिनांक : 10 मई 2007

प्रिय विभागाध्यक्ष,

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अपने पत्र संख्या 1689/उ.सू.आ./2006 दिनांक 22.7.2006 दिनांक 22.7.2006 के द्वारा संलग्न सूची में दर्शाये गये 17 विभागों के अधीनस्थ विभिन्न लोक प्राधिकारी इकाईयों में सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत, अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के मूल्यांकन के लिये चयनित किया गया था. (संलग्नक : 1)

2. इसी क्रम में आयोग के नामित अधिकारियों द्वारा माह फरवरी – मार्च, 2007 में आपके अधीनस्थ निम्न लोक प्राधिकारी इकाईयों के कार्यालयों का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण का मूल्यांकन संलग्न है. (संलग्नक : 2)

3. संलग्न मूल्यांकन से स्पष्ट होगा कि अधीनस्थ लोक प्राधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में निम्न लिखित कमियां पायी गयी.

3.1. सूचना पट्ट यथास्थान पर नहीं लगाया गया है.

3.2. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 146/सु./XXXI/(3)G–/2006 दिनांक 22.3.2006 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर पंजिकाओ को तैयार नहीं किया गया है.

3.3. अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत अधीनस्था लोक प्राधिकारी इकाईयों के स्तर पर मैनुअल तैयार नहीं किये गये हैं.

3.4. अधीनस्थ लोकप्राधिकारी इकाईयों के स्तर से भेजी जाने वाली निर्धारित मासिक रिपोर्ट नियमित रूप से निदेशालय/मुख्यालय कार्यालय को प्रेषित नहीं की जा रही है.

4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों का क्रियान्वयन को एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के उपरांत भी, सुचारू रूप से न होने की यह स्थिति वांछनीय नहीं है तथा आयोग द्वारा इन कमियों को गंभीरता से लिया गया है.

5. आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया आप अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकारी इकाईयों को इस मूल्यांकन के क्रम में वस्तुस्थिति से तत्काल निर्देशित कर दें तथा अपनी विभागीय समीक्षा बैठकों में भी इसके अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही भी सम्पन्न कर कृत कार्यवाही से आयोग को अवगत कराने का कष्ट करें.

शुभेच्छु,

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(आर एस. टोलिया)

समस्त विभागाध्यक्ष (नाम से)
सूची के अनुसार

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
3. सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
4. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून
5. परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, राम बाग, कांवली रोड, देहरादून
6. आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, पौड़ी
7. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, मयूर विहार, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
8. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, पुलिस मुख्यालय, सुभाष रोड, देहरादून
9. निदेशक, कृषि विभाग, नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून
10. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, हल्द्वानी
11. निदेशक, तकनीकी शिक्षा विभाग, श्रीनगर गढ़वाल
12. निदेशक, पर्यटन विभाग, पटेल नगर, देहरादून
13. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, हल्द्वानी
14. प्रमुख वन संरक्षक, राजपुर रोड, देहरादून
15. मुख्य अभियंता, स्तर 1, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून
16. निदेशक, पंचायती राज विभाग, लक्ष्मी रोड, देहरादून
17. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चंदर नगर, देहरादून

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा अष्टम बैठक दिनांक 13 अप्रैल, 2007 (शुक्रवार) में लिये गये संकल्प (Resolution)

आयोग की अष्टम बैठक में निम्न बिन्दुओं पर संकल्प पारित किये गयेः

प्रस्तावः8.1 सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2(ज) में लोक प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है. तदानुसार इस संबा में शासनदेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29.7.05 के द्वारा लोक प्राधिकारियों को चिन्हित किया गया था. परन्तु आयोग में प्राप्त अपीलों एवं शिकायतों के निस्तारण की सुनवायी के दौरान यह स्पष्ट आभास हुआ है कि कई लोक प्राधिकारी स्तर पर यह स्पष्ट नही है कि वे लोक प्राधिकारी हैं अथवा नही. उपरोक्त स्थिति स्पष्ट न होने के कारण कुछ संगठन आयोग में सुनवायी के दौरान मा0 उच्च न्यायालय मं इन प्रकरणों को ले गये हैं. आयोग का स्पष्ट अभिमत है कि इस स्थिति के विद्यमान रहते परिहार्य संदर्भ प्राप्त होंगे, जिससे जन–सामान्य व आयोग के समय का अपव्यय होगा. उपरोक्त स्थिति स्पष्ट करने के संबंध में पूर्व में जारी शासनदेश संख्या 177/XXII/2005 दिनांक 29.7.05 के प्रस्तर 2 में संशोधन करने हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को संशोधित आलेख्य विचारार्थ प्रेषित किया जाये.

संकल्प 8.1 आयोग द्वारा मुख्य सचिव के द्वारा निर्गत किये जाने वाले प्रस्तावित संशोधन के आलेख्य पर विचार किया गया तथा विचरोपराँत सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को संशोधन प्रस्ताव मुख्य सचिव को अपने स्तर से प्रेषित करने हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को संशाधित आलेख्य विचारार्थ प्रेषित किया जाये.

प्रस्ताव 8.2 सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 अंतर्गत कतिपय सूचनाओं के प्रकटन से छूट के प्राविधान दिये गये हैं, अधिनियम की धारा 8(1) में मंत्रीमंडल के कागजपत्र, जिसमें पंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार–विमर्श के अभिलेख सम्मिलित हैं, प्रकटन के लिए छूट की श्रेणी में आते हैं. परन्तु मंत्रिपरिषद के ऐसे विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किये जाने वाले और विषय को पूरा या समाप्त होने के पश्चात जनता को उपलब्ध कराए जाने का प्राविधान है. मंत्रिपरिषद के कार्यों के निर्वहन के लिये शासन का गोपन अनुभाग लोक प्राधिकारी है. अतः यह प्रकाशन गोपन अनुभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है.

संकल्प 8.2 विचार विमर्श करने के उपरांत यह संकल्प पारित किया गया कि उक्त प्रस्ताव 8.2 के संबंध में शासन के गोपन विभाग/लोक प्राधिकारी को संस्तुति की जाये कि अधिनियम की धारा 8(1)(झ) के परंतुक के प्राविधान का अनुपालन करते हुए ऐसे विनिश्चयों को जनसामान्य को उपलब्ध कराये जाने की अविलम्ब व्यवस्था करें एवं तदानुसार आयोग को भी अवगत करायें. प्रारंभ से वर्षवार लिये गये मंत्रिपरिषद निर्णयों के संबंध में उपरोक्त अनुपालन के अतिरिक्त अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत भी समय–समय पर ऐसे विनिश्चयों के संबंध में उनके प्रकाशन की व्यवस्था अपने कार्या क्षेत्र के मैनुअल 17 के रूप में करें व उसे समय–समय पर अद्यतन भी करें.

सचिव, उत्तराखण्ड सूचना आयोग को लोक सूचना अधिकारी, गोपन अनुभाग/लोक प्राधिकारी को तदानुसार सूचित करने के लिए अधिकृत किया गया.

सचिव
उत्तराखंड सूचना आयोग